


## आदेश

26.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवानसिंह की ढाणी बाडगेर मगरा पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवागण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण को दिनांक 11.02.2016 से लगातार प्रतिवादीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



सहायक कलक्टर,  
(एसडीओ) बाडगेर